सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2012 / 00023 दर्ज तिथिः—22.06.2012

पेम्पों बेवा ठाकरा के कायम मुकाम

1. केसी पुत्री ठाकरा पत्नी साजन
   जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द हाल रोहिला पूर्व तहसील गुडामालानी
2. पालू पुत्री ठाकरा पत्नी रूगनाथ जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द हाल पराबा तहसील सांचौर
3. सोमी पुत्री ठाकरा पत्नी बखता
   जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी
4. वाधु पुत्री ठाकरा पत्नी बाबू
   जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द हाल चाडी तहसील रामसर जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र वागाराम
2. वागाराम पुत्र लिछमणाराम
3. पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम
4. मोहनराम पुत्र वागाराम
   जाति विश्नोई निवासी खुर्द तहसील गुडामालानी
5. नानगा पुत्र माला जाति जाट
   निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी
6. तहसीलदार साहब गुडामालानी

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री भाखराराम गोदारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—17.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

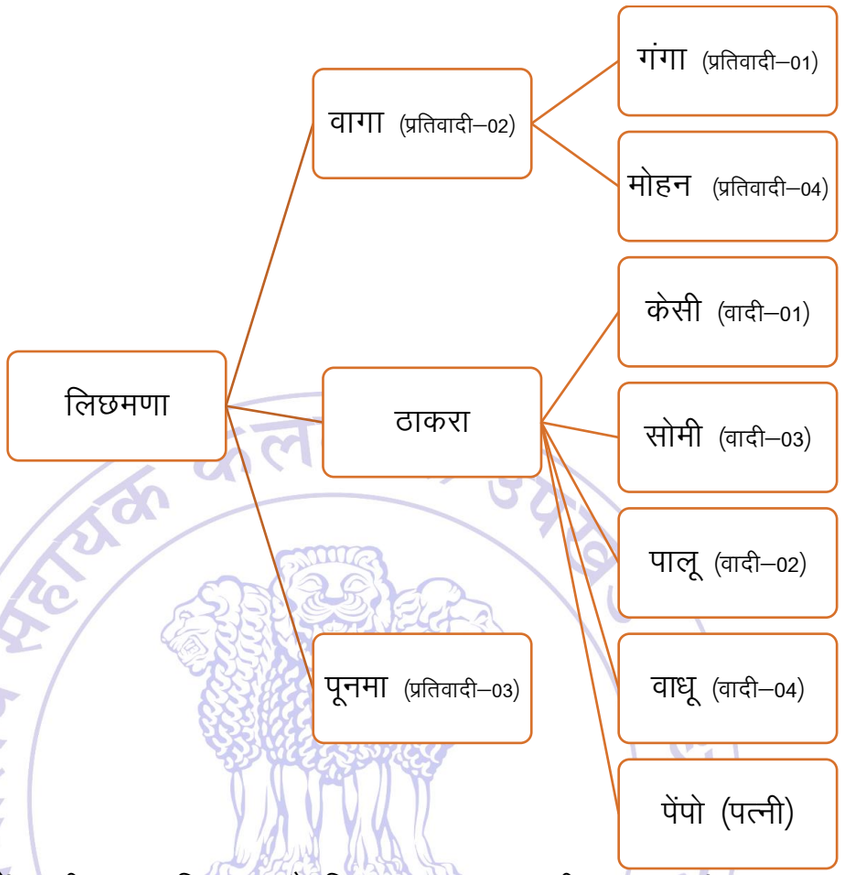

2. प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 105 रकबा 147 बीघा 03 बिस्वा मौजा राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा में अवस्थित है। उक्त मुतनाजा आराजी में से 15 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने से वर्तमान में खसरा संख्या 105 रकबा 146 बीघा 08 बिस्वा का दर्ज रिकॉर्ड है। मुतनाजा आराजी का वक्त बंदोबस्त पर्चा लगान ठाकरा, वागा, पूनमा व पांचीया पिसरान लिछमणा के नाम जारी हुआ था। पांचीया वल्द लिछमणा की लाऔलाद मृत्यु होने के कारण मुतनाजा आराजी वादी के पिता ठाकरा के 1/3 हिस्से तथा वागा व पूनमा पिसरान लिछमणा के प्रत्येक के 1/3—1/3 हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड हुई। वादीगण के पिता ठाकराराम ने दिनांक 08.08.1991 को उक्त आराजी में अपने 1/3 हिस्से में से 1/3 आराजी भेराराम पुत्र नंदराम व नानगाराम पुत्र मालाराम को बेचान कर दी। इस प्रकार वादीगण के पिता ठाकराराम ने दिनांक 08.08.1991 को उक्त आराजी में अपने 1/3 हिस्से में से 1/3 अर्थात संपूर्ण रकबे का 1/9 हिस्से में से 16—05 बीघा भूमि भेराराम पुत्र नंदराम व नानगाराम पुत्र मालाराम को बेचान करने के पश्चात वादी के पिता ठाकरा की खातेदारी में 2/9 हिस्सा अर्थात 32—11 बीघा भूमि शेष दर्ज रिकॉर्ड रही। वर्ष 1994 में ठाकरा का देहांत हो गया। ठाकरा वल्द लिछमणा की मृत्यु के पश्चात वादीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस थे। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत कर ठाकरा वल्द लिछमणा की फौतगी विरासत का नामांतरकरण वादीगण के नाम दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 01 गंगा वल्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

वागा के नाम दर्ज कर दिया। जबकि गंगा के मतदाता सूची में गंगा वल्द वागा अंकित है। इस प्रकार वादीगण को अपने पिता के संपति से मरहूम कर दिया। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ठाकरा वल्द लिछमणा के फौत होने पर ठाकरा के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 ठाकरा के गोदपुत्र की हैसियत से एवं पेंपो बेवा ठाकरा काबिज हुए। ठाकरा वल्द लिछमणा ने अपने जीवनकाल में अपने भाई वागा पुत्र लिछमणा से उसके जाईन्दा पुत्र गंगाराम को गोद लिया था। गोदनामा की संपूर्ण रस्म अदा कर प्रतिवादी संख्या 01 गंगाराम को दत्तक पुत्र ग्रहण किया था। तत्पश्चात ठाकराराम के जीवनपर्यन्त गोदपुत्र गंगाराम ने ठाकराराम के साथ रहकर उसकी सेवा चाकरी की थी। ठाकराराम की मृत्यु होने पर गोदपुत्र की हैसियत से दत्तक पिता ठाकराराम के क्रियाक्रम एवं पिंडदान व समस्त सामाजिक धार्मिक क्रियाक्रम की सभी रस्मे व रीतिरिवाज संपादित किए। ठाकराराम की फौतगी का नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 06.07.1994 गांव राणासर खुर्द गंगाराम व पेंपो बेवा ठाकराराम के नाम पारित किया गया। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध पेंपोदेवी के द्वारा एक राजस्व अपील संख्या 210/1996 माननीय जिला कलेक्टर बाड़मेर की अदालत में पेश की गई। उक्त अपील संख्या 210/1996 खारिज की गई। वादी को उक्त दावा लाने का कोई वादहेतुक उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही प्रकरण का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार ठाकराराम की विरासत प्रतिवादी संख्या 01 के गोदपुत्र होने के कारण सही दर्ज की गई है। इस आधार पर वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी के जवाब—उल—जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ठाकराराम ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 01 गंगाराम को गोद नहीं लिया। प्रतिवादी संख्या 01 गंगाराम को ठाकराराम द्वारा गोद लेने की कोई रस्म अदा नहीं की गई और ना ही गंगाराम द्वारा ठाकराराम की कोई सेवा चाकरी व गोदपुत्र की भूमिका का निर्वहन किया। ठाकराराम की मृत्यु होने पर समस्त रीतिरिवाज व पिंडदान वादीगण के द्वारा ही किया गया। असल में प्रतिवादी द्वारा वादीगण की आराजी को हड़पने के लिए झुठे व मिथ्या कथन प्रस्तुत किए है।

5. तत्पश्चात् प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः—

- *आया वादीनी मौजा राणासर खुर्द के खसरा संख्या 105 रकबा 146—08 बीघा में ठाकराराम के 2/9 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटवाकर तथा वादीगण की माता पेंपो के फौत होने से ठाकरा की समस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है ?*

(जिम्मे वादीनी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

- *आया वादीनी बाद घोषणा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने के अधिकारी हैं ?*

(जिम्मे वादीनी)

- *आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 104, 105 रकबा 147—06 बीघा मौजा राणासर खुर्द के खातेदार ठाकराराम वल्द लिछमणा की फौतगी का नामांतरकरण संख्या 256 मौजा राणासर खुर्द प्रतिवादी संख्या 01 के नाम व हैसियत गोदपुत्र स्वीकृत किए जाने एवं ठाकराराम के जीवनकाल से आज तक मौके पर कब्जा काश्त होने से दावा वादी काबिल—ए—खारिज हैं ?*

(जिम्मे प्रतिवादी)

- *आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 104, 105 कुल रकबा 147—06 बीघा मौजा राणासर खुर्द में अपने—अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी हैं ?*

(जिम्मे प्रतिवादी)

- अन्य सहायता.....

(.....जिम्मे उभय पक्षकारान)

6. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 34 संवत 2066—69 ग्राम राणासर खुर्द	प्रदर्श—01
नक्शा ट्रेस	खाता संख्या 41 संवत् 2054—57 ग्राम राणासर खुर्द	प्रदर्श—02
—	नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 06.07.1994	प्रदर्श—03
—	खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 66 मौजा राणासर खुर्द	प्रदर्श—04

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
पालू पुत्री ठाकरा	विश्नोई	ग्राम राणासर खुर्द
केसी पुत्री ठाकरा	विश्नोई	ग्राम राणासर खुर्द
वाधू पुत्री ठाकरा	विश्नोई	ग्राम राणासर खुर्द
पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम	विश्नोई	ग्राम राणासर खुर्द
हरींगाराम पुत्र बालूराम	विश्नोई	ग्राम राणासर खुर्द

8. प्रकरण में वादीगण द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- उक्त मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 105 रकबा 147 बीघा 03 बिस्वा मौजा राणासर खुर्द तहसील नौखड़ा में अवस्थित है। उक्त मुतनाजा आराजी में से 15 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने से वर्तमान में खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 105 रकबा 146 बीघा 08 बिस्वा का दर्ज रिकॉर्ड है। मुतनाजा आराजी का वक्त बंदोबस्त पर्चा लगान ठाकरा, वागा, पूनमा व पांचीया पिसरान लिछमणा के नाम जारी हुआ था। पांचीया वल्द लिछमणा की लाऔलाद मृत्यु होने के कारण मुतनाजा आराजी वादी के पिता ठाकरा के 1/3 हिस्से तथा वागा व पूनमा पिसरान लिछमणा के प्रत्येक के 1/3–1/3 हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड हुई। वादीगण के पिता ठाकराराम ने दिनांक 08.08.1991 को उक्त आराजी में अपने 1/3 हिस्से में से 1/3 आराजी भेराराम पुत्र नंदराम व नानगाराम पुत्र मालाराम को बेचान कर दी। इस प्रकार वादीगण के पिता ठाकराराम ने दिनांक 08.08.1991 को उक्त आराजी में अपने 1/3 हिस्से में से 1/3 अर्थात संपूर्ण रकबे का 1/9 हिस्से में से 16–05 बीघा भूमि भेराराम पुत्र नंदराम व नानगाराम पुत्र मालाराम को बेचान करने के पश्चात वादी के पिता ठाकरा की खातेदारी में 2/9 हिस्सा अर्थात 32–11 बीघा भूमि शेष दर्ज रिकॉर्ड रही।

- वर्ष 1994 में ठाकरा का देहांत हो गया। ठाकरा वल्द लिछमणा की मृत्यु के पश्चात वादीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिस थे। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत कर ठाकरा वल्द लिछमणा की फौतगी विरासत का नामांतरकरण वादीगण के नाम दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 01 गंगा वल्द वागा के नाम दर्ज कर दिया। जबकि गंगा के मतदाता सूची में गंगा वल्द वागा अंकित है। इस प्रकार वादीगण को अपने पिता के संपति से मरहूम कर दिया।
- अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा–04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

9. प्रकरण में पालू पुत्री ठाकरा पी0डब्ल्यू–01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि मेरे पिता ठाकराराम की मृत्यु के समय दो बहने पालू व केसी ससुराल जाती थी तथा सोमी व वाधू ससुराल नहीं जाती थी। सोमी और वाधू मेरी माता पेंपो के गुजरने से पहले ससुराल जाती थी। मुझे ज्ञात नहीं है कि पिता व गोदपिता में अंतर होता है। हम चारों बहने ठाकरा की पुत्री है। ठाकरा ने अपने जीवनकाल में गंगाराम को कभी गोद नहीं लिया था। ठाकराराम के फौत होने पर गंगाराम के नाम नामांतरकरण हुआ इसकी अपील हमने नहीं की अगर पेंपो देवी ने अपील की हो तो मुझे ज्ञात नहीं हैं।

10. प्रकरण में केसी पुत्री ठाकरा पी0डब्ल्यू–02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना गलत है कि गंगाराम ठाकरा के जीवनकाल में ठाकरा के साथ रहता हो यह कहना भी गलत है कि आज भी गंगाराम व गंगाराम का परिवार ठाकरा की जमीन में रहते हो। यह कहना गलत है कि हमारे माता पिता का क्रियाक्रम गंगाराम ने किया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रकरण में वाधू पुत्री ठाकरा पी0डब्ल्यू—03 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरे पिता के चार भाई थे। जिनका नाम ठाकरा, पूनमा, वागा व पांचा है। मेरे पिता 30 साल पहले गुजर गए। मेरे पिता ने गुजरने से पहले गंगाराम को गोद नहीं लिया था। पेंपो देवी को गुजरे हुए 10 साल हो गए है। मेरी मां के फौत होने के बारह माह बाद दावा किया गया था। गंगा की ढाणी व टांका वागा के खेत में है। वागा व हमारा बंटवारा किया हुआ है। यह कहना गलत है कि मेरे पिता ठाकराराम के गुजरने के बाद गंगाराम खेती करता हो। मेरे पिता जब गुजरे तब अकेले ही रहते थे। यह कहना गलत है कि पेंपो व ठाकरा के फौत होने पर क्रियाक्रम बेटे की हैसियत से गंगाराम ने किए हो। गंगाराम को मेरे पिता ठाकराराम ने गोद नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि इस खेत में गंगाराम काश्त करता हो। कब्जा काश्त हम बहनों का ही है।

12. प्रकरण में पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम पी0डब्ल्यू—04 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि गंगाराम मेरा सगा भतीज है। यह कहना गलत हे कि गंगाराम मेरे भाई ठाकराराम का गोदपुत्र है। यह कहना गलत है कि ठाकराराम की फौतगी पर गंगाराम ने क्रियाक्रम किया हो। यह कहना गलत है कि गंगाराम ठाकराराम की जमीन में ढाणी बना के बैठा हो। हम ठाकरा की जमीन नहीं लेना चाहते है। यह कहना गलत है कि छोरीयों को जमीन दिलाने और गंगाराम को इस जमीन से बेदखल करने के लिए झुठा दावा करवाया हो। छोरीयों का हक होने से यह दावा किया है।

13. प्रकरण में हरींगाराम पुत्र बालूराम पी0डब्ल्यू—05 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि राणासर खुर्द में मेरी खातेदारी का कोई खेत नहीं है। ठाकरा के हिस्से की भूमि में गंगाराम के नाम की खातेदारी गलत दर्ज है। यह कहना गलत है कि ठाकराराम ने अपने जीवनकाल में गंगाराम को गोद लिया हो, पोतीया बंधाया हो, रेवाण की हो तथा ठाकरा की मृत्यु पर ठाकरा का क्रियाक्रम गंगाराम ने किया हो। ठाकरा की फौतगी के बाद ठाकरा की फौतगी का नामांतरकरण गंगाराम के नाम भरा गया। इस नामांतरकरण की किसी ने अपील की हो तो मुझे पता नहीं है। ठाकरा की चारों पुत्रीया परिवार सहित यही रहती है। ठाकरा की फौत हुई तब मेरे पिता बैठने गए थे। मेरे काकाई भाई रूगनाथ की शादी पालू पुत्री ठाकरा के साथ हो रखी है। इसलिए मैं इन्हे जानता हुं। गंगाराम ठाकरा फर्जी पुत्र बना हुआ हैं। इसका फौजदारी मुकदमा ठाकरा की पुत्री ने किया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। ये गलत है कि मैं झूठ बयान दे रहा हूं।

14. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रामचन्द पुत्र चुतराराम	जाट	राणासर खुर्द	डी0डब्ल्यू—1
पूराराम पुत्र खेताराम	जाट	राणासर खुर्द	डी0डब्ल्यू—2
खेताराम पुत्र वीरमाराम	जाट	राणासर खुर्द	डी0डब्ल्यू—3

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

रामूराम पुत्र लालाराम	जाट	राणासर खुर्द	डी0डब्ल्यू—4

15. प्रकरण में जगराम पुत्र सोनाराम डी0डब्ल्यू—01, भागीरथ पुत्र रिड़मल डी0डब्ल्यू—02, श्रीराम पुत्र मंगला डी0डब्ल्यू—3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—
    - कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ठाकरा वल्द लिछमणा के फौत होने पर ठाकरा के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 ठाकरा के गोदपुत्र की हैसियत से एवं पेंपो बेवा ठाकरा काबिज हुए। ठाकरा वल्द लिछमणा ने अपने जीवनकाल में अपने भाई वागा पुत्र लिछमणा से उसके जाईन्दा पुत्र गंगाराम को गोद लिया था। गोदनामा की संपूर्ण रस्म अदा कर प्रतिवादी संख्या 01 गंगाराम को दत्तक पुत्र ग्रहण किया था। तत्पश्चात ठाकराराम के जीवनपर्यन्त गोदपुत्र गंगाराम ने ठाकराराम के साथ रहकर उसकी सेवा चाकरी की थी।
    - ठाकराराम की मृत्यु होने पर गोदपुत्र की हैसियत से दत्तक पिता ठाकराराम के क्रियाक्रम एवं पिंडदान व समस्त सामाजिक धार्मिक क्रियाक्रम की सभी रस्मे व रीतिरिवाज संपादित किए। ठाकराराम की फौतगी का नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 06.07.1994 गांव राणासर खुर्द गंगाराम व पेंपो बेवा ठाकराराम के नाम पारित किया गया। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध पेंपोदेवी के द्वारा एक राजस्व अपील संख्या 210/1996 माननीय जिला कलेक्टर बाड़मेर की अदालत में पेश की गई। उक्त अपील संख्या 210/1996 खारिज की गई। वादी को उक्त दावा लाने का कोई वादहेतुक उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही प्रकरण का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।
    - इस प्रकार ठाकराराम की विरासत प्रतिवादी संख्या 01 के गोदपुत्र होने के कारण सही दर्ज की गई है। इस आधार पर वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीनी मौजा राणासर खुर्द के खसरा संख्या 105 रकबा 146—08 बीघा में ठाकराराम के 2/9 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटवाकर तथा वादीगण की माता पेंपो के फौत होने से ठाकरा की समस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ठाकरा वल्द लिछमणा के फौत होने पर ठाकरा के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 ठाकरा के गोदपुत्र की हैसियत से एवं पेंपो बेवा ठाकरा काबिज हुए। साथ ही प्रकरण का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार दावा वादी खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

17. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैं:—

> 1. *आया वादीनी मौजा राणासर खुर्द के खसरा संख्या 105 रकबा 146—08 बीघा में ठाकराराम के 2/9 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटवाकर तथा वादीगण की माता पेंपो के फौत होने से ठाकरा की समस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।*
>
> *.....वादीगण*

18. प्रकरण में प्रथम तनकी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में प्रथम तनकी मुतनाजा आराजी में वादीनी मौजा राणासर खुर्द के खसरा संख्या 105 रकबा 146—08 बीघा में ठाकराराम के 2/9 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटवाकर तथा वादीगण की माता पेंपो के फौत होने से ठाकरा की समस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने से संबंधित है।

19. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबधित है। वादी एवं प्रतिवादी का एक संयुक्त पूर्वज लिछमणा था। बनाराम के चार पुत्र ठाकरा पुत्र लिछमणा, वागा पुत्र लिछमणा, पांचीया पुत्र लिछमणा व पूनमा पुत्र लिछमणा थे। पांचीया पुत्र लिछमणा लाऔलाद फौत हो गया। प्रकरण में पेंपो बेवा ठाकरा भी फौत हो चुकी है। प्रकरण में मुख्य विवाद ठाकरा की विरासत को लेकर है। वादी का अभिकथन है कि ठाकरा वल्द लिछमणा की विरासत वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। जबकि प्रतिवादी का अभिकथन है कि ठाकरा वल्द लिछमणा की विरासत गंगाराम के ठाकरा के गोदपुत्र होने के कारण सही दर्ज की गई।

20. प्रकरण में सर्वप्रथम वादीगण के ठाकरा वल्द लिछमणा के वारिस होने के विवाद पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि वादीगण ही ठाकराराम वल्द लिछमणा की वारिस है। प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि ठाकरा के कोई वैध जैविक पुत्र नहीं था। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि पेंपो देवी ठाकरा की पत्नी थी। पेंपोदेवी व ठाकरा के कोई संतान ही नहीं हुई हो इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई खंडन अभिकथित या साक्ष्य—गवाह प्रस्तुत नहीं किए है। साथ ही वादीगण के ठाकरा के वारिस नहीं होकर किसी अन्य की संतान होने के बारे में प्रतिवादी द्वारा कोई खंडन अभिकथित या साक्ष्य—गवाह प्रस्तुत नहीं किए है। साथ ही प्रकरण में ठाकरा के सगे भाई पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम का अभिकथन है कि वादीगण ही ठाकरा के जाईन्दा संतान है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण ही ठाकरा वल्द लिछमणा की संतान है तथा वैध वारिस है।

21. अब प्रकरण में गंगाराम के ठाकरा वल्द लिछमणा के गोद पुत्र होने के विवाद पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रतिवादी का अभिकथन है कि ठाकरा वल्द लिछमणा ने गंगाराम पुत्र वागाराम को अपने जीवनकाल में गोदग्रहण किया था। इस प्रकार गंगाराम ठाकरा वल्द लिछमणा का बतौर गोदपुत्र ठाकरा के साथ

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

ही रहता था। साथ ही गंगाराम ने गोदपुत्र की हैसियत से ठाकरा वल्द लिछमणा की मृत्यु पर पिंडदान व सामाजिक रीतिरिवाज का निर्वहन किया। इसके खंडन में वादीगण का अभिकथन है कि ठाकरा ने गंगाराम को कभी गोदपुत्र ग्रहण नहीं किया था। साथ ही गंगाराम ठाकरा वल्द लिछमणा का बतौर गोदपुत्र ठाकरा के साथ नहीं रहता था। साथ ही गंगाराम ने गोदपुत्र की हैसियत से ठाकरा वल्द लिछमणा की मृत्यु पर पिंडदान व सामाजिक रीतिरिवाज का कभी निर्वहन नहीं किया। साथ ही गंगाराम ने गोदपुत्र की हैसियत से पेंपो पत्नी ठाकरा की मृत्यु पर पिंडदान व सामाजिक रीतिरिवाज का कभी निर्वहन नहीं किया।

22. उक्त संबंध में वादी की तरफ से प्रस्तुत गवाहों के प्रतिपरीक्षण पर अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि गंगाराम पुत्र वागाराम को ठाकराराम वल्द लिछमणाराम ने कभी गोद नहीं लिया। प्रतिवादी संख्या 01 इस संबंध में कोई पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत करने में असफल रहे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा स्वयं को ठाकराराम द्वारा गोदपुत्र ग्रहण करने के संबंध में कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या कोई गवाह का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गंगाराम पुत्र वागाराम को ठाकराराम वल्द लिछमणाराम के गोदपुत्र होने के संबंध में स्वयं गंगाराम के सगे भाई मोहन पुंत्र वागाराम को भी गंगाराम द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रकरण में स्पष्ट नहीं किया गया कि अगर गंगाराम को ठाकराराम द्वारा गोद ग्रहण कर लिया था तो उक्त स्थिति में वागाराम की संपति में गंगाराम को हिस्सा नहीं मिला हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ठाकराराम के सगे भाई पूनमाराम वल्द लिछमणाराम ने भी गंगाराम को ठाकराराम का गोदपुत्र नहीं होना बताया हैं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा स्वयं को ठाकराराम द्वारा गोदपुत्र ग्रहण करने के संबंध में सामाजिक रीतिरिवाज या रस्म अदा करने के संबंध में कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या कोई गवाह का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 ठाकराराम का प्रमाणिक गोदपुत्र नहीं है।

23. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि एक दफा गंगाराम पुत्र वागाराम को ठाकराराम का गोदपुत्र मान भी लिया जाए तब भी ठाकराराम की पुत्रीयों का हक ठाकराराम की संपति में से समाप्त नहीं हो जाता है। इस स्थिति में ठाकराराम की पुत्रीयों एवं तथाकथित गोदपुत्र गंगाराम को समान हिस्से देते हुए ठाकराराम की संपति में हिस्सा दर्ज होना कानूनन न्यायसंगत था। इस प्रकार इस स्थिति में भी ठाकराराम की पुत्रियों का हक निहित था। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत संपति में अधिकार न्यागत होते है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी के वारिसों में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत संपति न्यागत होती है। अगर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के कोई भी वारिस नहीं होने की स्थिति में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची में द्वितीय श्रेणी के वारिसों में किसी हिन्दू के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत संपति न्यागत होती है। प्रकरण में वादीगण ठाकरा के प्रथम श्रेणी के वारिस मौजूद है। परंतु ठाकरा पुत्र लिछमणा की संपति ठाकरा के फौत होने पर प्रथम श्रेणी के वारिसों में न्यागत नहीं होकर द्वितीय श्रेणी के वारिसों को न्यागत की गई है। इस प्रकार प्रकरण में ठाकराराम की विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के विपरीत दर्ज की गई है।

24. इस संबंध में इसके साथ ही सहदायिकी संपति में सहदायको के अधिकार को समझना आवश्यक है। सहदायक संपति में सहदायक (पुत्र/पौत्र/प्रपौत्र) कभी भी अपना हक निर्धारित करवाकर सहदायिकी से पृथक हो सकता है। इस संबंध में हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस प्रकार अब सहदायक संपति में सहदायक (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र) कभी भी अपना हक निर्धारित करवाकर सहदायिकी से पृथक हो सकता है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायिकी संपति में सहदायको के अधिकार की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *AIR 2020 SUPREME COURT 3717* बउनवान ***Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma*** में दिनांक 11.08.2020 को दिये गये निर्णय में सहदायिकी संपति में सहदायको के अधिकार के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *63. Considering the principle of coparcenary that a person is conferred the rights in the Mitakshara coparcenary by birth, similarly, the daughter has been recognised and treated as a coparcener, with equal rights and liabilities as of that of a son. The expression used in section 6 is that she becomes coparcener in the same manner as a son. By adoption also, the status of coparcener can be conferred. The concept of uncodified Hindu law of unobstructed heritage has been given a concrete shape under the provisions of section 6(1)(a) and 6(1) (b). Coparcener right is by birth. Thus, it is not at all necessary that the father of the daughter should be living as on the date of the amendment, as she has not been conferred the rights of a coparcener by obstructed heritage. According to the Mitakshara coparcenary Hindu law, as administered which is recognised in section 6(1), it is not necessary that there should be a living, coparcener or father as on the date of the amendment to whom the daughter would succeed. The daughter would step into the coparcenary as that of a son by taking birth before or after the Act. However, daughter born before can claim these rights only with effect from the date of the amendment, i.e., 9.9.2005 with saving of past transactions as provided in the proviso to section 6(1) read with section 6(5).*
>
> *64. The effect of the amendment is that a daughter is made coparcener, with effect from the date of amendment and she can claim partition also, which is a necessary concomitant of the coparcenary. Section 6(1) recognises a joint Hindu family*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

governed by Mitakshara law. The coparcenary must exist on 9.9.2005 to enable the daughter of a coparcener to enjoy rights conferred on her. As the right is by birth and not by dint of inheritance, it is irrelevant that a coparcener whose daughter is conferred with the rights is alive or not. Conferral is not based on the death of a father or other coparcener. In case living coparcener dies after 9.9.2005, inheritance is not by survivorship but by intestate or testamentary succession as provided in substituted section 6(3).

xxx

66. As per the Mitakshara law, no coparcener has any fixed share. It keeps on fluctuating by birth or by death. It is the said principle of administration of Mitakshara coparcenary carried forward in statutory provisions of section 6. Even if a coparcener had left behind female heir of Class I or a male claiming through such female Class I heir, there is no disruption of coparcenary by statutory fiction of partition. Fiction is only for ascertaining the share of a deceased coparcener, which would be allotted to him as and when actual partition takes place. The deemed fiction of partition is for that limited purpose. The classic Shastric Hindu law excluded the daughter from being coparcener, which injustice has now been done away with by amending the provisions in consonance with the spirit of the Constitution.

67. There can be a sole surviving coparcener in a given case the property held by him is treated individual property till a son is born. In case there is a widow or daughter also, it would be treated as joint family property. If the son is adopted, he will become a coparcener. An adoption by a widow of a deceased coparcener related to the date of her husband's death, subject to saving the alienations made in the intermittent period.

xxx

79. The right to claim partition is a significant basic feature of the coparcenary, and a coparcener is one who can claim partition. The daughter has now become entitled to claim partition of coparcenary w.e.f. 9.9.2005, which is a vital change brought about by the statute. A coparcener enjoys the right to seek severance of status. Under section 6(1) and 6(2), the rights of a daughter are pari passu with a son. In the eventuality of a partition, apart from sons and daughters, the wife of the coparcener is also entitled to an equal share. The right of the wife of a coparcener to claim her right in property is in no way taken away.

xxx

129. Resultantly, we answer the reference as under:

(i) The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities.

(ii) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

disposition which had taken place before 20th day of December, 2004.

(iii) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.

(iv) The statutory fiction of partition created by proviso to Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of coparcenary. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir, of Class-I as specified in the Schedule to the Act of 1956 or male relative of such female. The provisions of the substituted Section 6 are required to be given full effect. Notwithstanding that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal.

(v) In view of the rigor of provisions of Explanation to Section 6(5) of the Act of 1956, a plea of oral partition cannot be accepted as the statutory recognised mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 or effected by a decree of a court. However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been affected by a decree of a court, it may be accepted. A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected outrightly.

25. प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत ठाकराराम वल्द लिछमणाराम की विरासत ठाकराराम के कोई पुत्र नही होने के बाद भी पुत्रियों वादीगण के हक में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। क्योंकि प्रकरण में गंगाराम वल्द वागाराम ठाकराराम का गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार वादीगण का ठाकराराम की संपति में कानूनन हक निहित होने के कारण ठाकराराम की विरासत केवल वादीगण के पक्ष में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 01 को साबित करने में सफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

26. प्रकरण में द्वितीय तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

188. Injunction against wrongful ejectment—
(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

27. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है।इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

28. प्रकरण में द्वितीय व तृतीय तनकी प्रकरण में प्रथम तनकी के खंडन स्वरूप बनाई गई है जो कि प्रथम तनकी पर आधारित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार होने के कारण द्वितीय व तृतीय तनकी पर पृथक से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

29. प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत ठाकराराम वल्द लिछमणाराम की विरासत ठाकराराम के कोई पुत्र नही होने के बाद भी पुत्रियों वादीगण के हक में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। क्योंकि प्रकरण में गंगाराम वल्द वागाराम ठाकराराम का गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार वादीगण का ठाकराराम की संपति में कानूनन हक निहित होने के कारण ठाकराराम की विरासत केवल वादीगण के पक्ष में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को खसरा संख्या 105 रकबा 146 बीघा 08 बिस्वा में संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन कर संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 17.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2012 / 00023 दर्ज तिथिः—22.06.2012

पेम्पों बेवा ठाकरा के कायम मुकाम

1. केसी पुत्री ठाकरा पत्नी साजन
   जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द हाल रोहिला पूर्व तहसील गुडामालानी
2. पालू पुत्री ठाकरा पत्नी रूगनाथ जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द हाल पराबा तहसील सांचौर
3. सोमी पुत्री ठाकरा पत्नी बखता
   जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी
4. वाधु पुत्री ठाकरा पत्नी बाबू
   जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द हाल चाडी तहसील रामसर जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र वागाराम
2. वागाराम पुत्र लिछमणाराम
3. पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम
4. मोहनराम पुत्र वागाराम
   जाति विश्नोई निवासी खुर्द तहसील गुडामालानी
5. नानगा पुत्र माला जाति जाट
   निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी
6. तहसीलदार साहब गुडामालानी

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री भाखराराम गोदारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्री:—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को खसरा संख्या 105 रकबा 146 बीघा 08 बिस्वा में संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन कर संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:35 IST
Reason: SelfAttested